"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2008—आश्विन 11, शक 1930

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं मानिक राम मानिकपुरी आत्मज स्व. भगवान दास मानिकपुरी, उम्र 35 वर्ष, निवासी-ग्राम-पोड़ीकला, थाना पसान, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर मनीदास मानिकपुरी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे मनीदास मानिकपुरी आत्मज स्व. भगवानदास मानिकपुरी के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
मानिकराम मानिकपुरी आत्मज- स्व. भगवानदास मानिकपुरी निवासी-ग्राम पोड़ीकला, थाना पसान तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ. ग.)	मनीदास मानिकपुरी आत्मज- स्व. भगवानदास मानिकपुरी निवासी-ग्राम पोड़ीकला, थाना पसान तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं नेमचन्द आत्मज स्व. दयाराम साहू, उम्र 44 वर्ष, निवासी क्वार्टर नं. 4-के, सड़क नं. 9, सेक्टर-6, भिलाई नगर, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपनी पत्नी का पुराना नाम श्रीमती अमुनाबाई साहू को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती यमुना बाई साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पत्नी को श्रीमती यमुना बाई साहू पति श्री नेमचंद साहू के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती अमुना बाई साहू पति श्री नेमचंद साहू निवासी क्वार्टर नं. 4-के सड़क नं. 9, सेक्टर 6, भिलाईनगर तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती यमुना बाई साहू पति श्री नेमचंद साहू निवासी क्वार्टर नं. 4-के सड़क नं. 9, सेक्टर 6, भिलाईनगर तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं तीजे राम साहू आत्मज श्री फगुवा राम साहू, निवासी ग्राम-पाहन्दा, प. ह. नं.-150, थाना-आरंग, तहसील-आरंग, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ का हूं. जो कि अपने नाम को परिवर्तित कर तीजेन्द्र कुमार साहू रख लिया हूं जिसके संबंध में संबंधित प्राधिकारी का शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: भविष्य में मुझे तीजेन्द्र कुमार साहू आत्मज श्री फगुवा राम साहू के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
तीजे राम साहू आत्मज श्री फगुवा राम साहू निवासी-ग्राम-पाहन्दा, प. ह. नं.-150 थाना-आरंग, तहसील-आरंग जिला-रायपुर (छ. ग.)	तीजेन्द्र कुमार साहू आत्मज श्री फगुवा राम साहू निवासी-ग्राम-पाहन्दा, प. ह. नं.-150 थाना-आरंग, तहसील-आरंग जिला-रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं तुरवेश कुमार अग्रवाल पिता श्री हेमचंद अग्रवाल, उम्र 24 वर्ष, निवासी पानी टंकी के पास, पुरानी खुर्सीपार भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर निशांत कुमार अग्रवाल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे निशांत कुमार अग्रवाल पिता श्री हेमचंद अग्रवाल के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
तुरवेश कुमार अग्रवाल पिता श्री हेमचंद अग्रवाल निवासी पानी टंकी के पास पुरानी खुर्सीपार भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)	निशांत कुमार अग्रवाल पिता श्री हेमचंद अग्रवाल निवासी पानी टंकी के पास पुरानी खुर्सीपार भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं राजेश कुमार दास आत्मज श्री रविनंदन दास, उम्र 60 वर्ष, अवकाश प्राप्त कर्मी, कृषि उपज मंडी समिति. रायपुर वर्तमान निवास कर्मचारी आवासीय परिसर कृषि उपज मंडी समिति पंडरी, रायपुर (छ. ग.) का हूं. मैंने अपना पुराना नाम राजेश कुमार वैश्य आत्मज श्री रविनंदन वैश्य को परिवर्तित करके नया नाम राजेश कुमार दास आत्मज श्री रविनंदन दास रख लिया हूं जिसके संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे राजेश कुमार दास आत्मज श्री रविनंदन दास के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
राजेश कुमार वैश्य	राजेश कुमार दास
आत्मज श्री रविनंदन वैश्य	आत्मज श्री रविनंदन दास
निवासी कर्मचारी आवासीय परिसर	निवासी कर्मचारी आवासीय परिसर
कृषि उपज मंडी समिति, पंडरी	कृषि उपज मंडी समिति, पंडरी
जिला-रायपुर (छ. ग.)	जिला-रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं ईश्वर लाल सलाम पिता स्व. मंगनसिंह, जाति गोंड, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम-भेजा, पोष्ट-बड़भूम, तहसील गुरूर, जिला दुर्ग हाल मुकाम दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ. ग.) का हूं मैं अपने उपनाम को परिवर्तित कर ईश्वर लाल ठाकुर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे ईश्वर लाल ठाकुर पिता स्व. मंगन सिंह ठाकुर के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
ईश्वर लाल सलाम	ईश्वर लाल ठाकुर
पिता स्व. मंगन सिंह	पिता स्व. मंगन सिंह ठाकुर
निवासी ग्राम-भेजा, पोष्ट-बड़भूम	निवासी ग्राम-भेजा, पोष्ट-बड़भूम
तहसील-गुरूर, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	तहसील-गुरूर, जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सुरेश कुमार आत्मज श्री गुहरीराम, निवासी सेक्टर 6, भिलाई तह. व जिला दुर्ग स्थायी पता ग्राम-भेड़ी, तहसील डौंडी लोहारा, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं मैं अपने नाम के आगे उपनाम चिराम को जोड़कर सुरेश कुमार चिराम रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे सुरेश कुमार चिराम आत्मज श्री गुहरी राम चिराम के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
सुरेश कुमार	सुरेश कुमार चिराम
आत्मज श्री गुहरी राम चिराम	आत्मज श्री गुहरी राम चिराम
पता सेक्टर 6, भिलाई	पता सेक्टर 6, भिलाई
तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)	तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 16 सितम्बर 2008

प्रारूप-चार
[नियम 5(1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उप-धारा (2) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक/1990/प्र-1/अविअ/08.—चूंकि जय बजरंग बली मंदिर ट्रस्ट समिति, कमरौद की ओर से न्यासी तुलसीराम साहू, निवासी-मचान्दुर, तहसील दुर्ग, जिला-दुर्ग ने छ. ग. पब्लिक लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 24-10-2008 को विचार के लिये लिया जायेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं पी. तिर्की, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभाग पाटन, जिला दुर्ग का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 24-10-2008 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम एवं पता तथा संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम और पता : जय बजरंग बली मंदिर ट्रस्ट समिति, ग्राम-कमरौद, पोस्ट-चौरेल, तहसील गुण्डरदेही, जिला-दुर्ग छ. ग.

2. अचल संपत्ति :

मौजा	खसरा नं.	रकबा
कमरौद	30	0.46 हे.
कमरौद	57	0.22 हे.
कमरौद	422	0.01 हे.
परसतराई	211	1.73 हे.
कुल रकबा =		2.42 हे.

3. चल संपत्ति : नगद में 1100/- स्टेट बैंक ऑफ इंदौर मुख्य शाखा संतराबाड़ी दुर्ग, बचत खाता क्र. 63030488505.

आज दिनांक 15-09-2008 को मेरे स्वत: के हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

पी. तिर्की,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, सूरजपुर, जिला सरगुजा (छ. ग.)

सूरजपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2008

प्रारूप-पांच
[नियम 5(1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2) तथा छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 का नियम -5 उपनियम (1) देखिये]

क्रमांक/578/वाचक-1/08.—क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के अभिप्राय के लिये लोक न्यास है, और उसका गठन करती है.

अत: मैं अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, सूरजपुर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 17-10-08 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन मेरे समक्ष प्रस्तुत करना और मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम एवं पता तथा संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम और पता : गॉसपल आउटरीच मिनिस्ट्रीज जानसन टायर वर्क्स मेन रोड विश्रामपुर जिला सरगुजा (छ. ग.).

2. अचल संपत्ति : निरंक

3. चल संपत्ति : निरंक

ए. एल. ध्रुव,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग.

बिलासपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/1759.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/1431/बिलासपुर दिनांक 9-10-2006 के तहत प्राथमिक श्रम ठेका सहकारी समिति मर्यादित, दशरंगपुर, पंजीयन क्रमांक 3413 दिनांक 22-10-91, विकासखण्ड मुंगेली, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के तहत श्री आर. एम. खैरवार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 9-9-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/1772.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/602/बिलासपुर दिनांक 17-5-2006 के तहत प्राथमिक मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, मचखंडा, पंजीयन क्रमांक 3677 दिनांक 8-8-95, विकासखण्ड मस्तुरी, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के तहत श्री बी. आर. यादव, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मस्तुरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 9-9-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/1773.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/604/बिलासपुर दिनांक 17-5-2006 के तहत इंदिरा गांधी मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, बनियाडीह, पंजीयन क्रमांक 3814 दिनांक 4-11-96, विकासखण्ड मस्तुरी, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के तहत श्री बी. आर. यादव, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मस्तुरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 9-9-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/1774.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/221/बिलासपुर दिनांक 10-2-2006 के तहत प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्यादित, मुंगेली, पंजीयन क्रमांक 3394 दिनांक 26-6-91, विकासखण्ड मुंगेली, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के तहत श्री आर. एम. खैरवार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 9-9-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/1775.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/1414/बिलासपुर दिनांक 21-11-2005 के तहत मुरूम खदान कामगार सहकारी समिति मर्यादित, कोदूकापॉ, पंजीयन क्रमांक 3360 दिनांक 27-6-91, विकासखण्ड मुंगेली, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के तहत श्री आर. एम. खैरवार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 9-9-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2008

क्रमांक/परिसमापन/2008/1826.—नवयुवक मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, नवागांव, विकास खण्ड कोटा, जिला बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 2954 दिनांक 02-12-1971 विगत वर्षों से अकार्यशील रहने के कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना जारी किया गया था. कारण बताओ सूचना का जवाब प्रस्तुत नहीं होने तथा भविष्य में, कार्यशील होने की संभावनाएं नहीं होने के फलस्वरूप उक्त संस्था को परिसमापन में लाते हुए सहकारिता विस्तार अधिकारी, कोटा को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी, कोटा द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि समिति के सदस्यों की बैठक आहूत की गई. उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में सभी सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया. परिसमापक द्वारा भी समिति को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गई है. वर्तमान में 22 सदस्य हैं, संस्था के पास प्रदत्त अंशपूंजी रु. 548.00 है. संस्था को आदर्श खारंग मछुवा सहकारी समिति मर्या., जाली के साथ संयुक्त रूप से खुंटाघाट जलाशय को पांच वर्षीय पट्टे पर वर्ष 2007-08 से 22 लाख प्रतिवर्ष लीज पर लिया गया है तथा संयुक्त मत्स्य पालन एवं मत्स्य व्यवसाय किया जा रहा है. वर्ष 2006-07 तक अंकेक्षण करा लिया गया है वर्ष 2006-07 में रु. 2,44,031.00 का मत्स्य व्यवसाय किया गया है. वर्ष 2006-07 में रु. 36,442.00 का शुद्ध लाभ हुआ है. संस्था के पास जाल, नांव का पर्याप्त स्कंध रखा गया है तथा संस्था पूर्ण रूप से कार्यशील है.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(4) के तहत पुनर्जीवित करने का आदेश पारित करता हूं.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जांजगीर-चांपा, छ. ग.

जांजगीर, दिनांक 16 जुलाई 2008

छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/उपंजां/परि./08/504.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /परि./116 दिनांक 7-2-08 के द्वारा विवेक फल फूल उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित, जैजैपुर, जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 257 दिनांक 27-10-2000 है. को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 196 0 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री ए. के. सूर्यवंशी, पद स. वि. अ. जैजैपुर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एन. कुजूर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर, छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) एवं छ. ग./म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/1/5/6/19/एफ-15 दिनांक 27-8-79 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 16-7-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर, दिनांक 16 जुलाई 2008

छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/उपजां/परि./08/505.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /परि./299 दिनांक 3-4-1986 के द्वारा उद्वहन सिंचाई सहकारी समिति मर्यादित, भवंतरा, जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 25 दिनांक 29-3-73 है को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एन. एल. साहू, पद स. वि. अ. पामगढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एन. कुजूर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर, छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) एवं छ. ग./म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/1/5/6/19/एफ-15 दिनांक 27-8-79 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 16-7-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर, दिनांक 16 जुलाई 2008

छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/उपजां/परि./08/506.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /परि./598 दिनांक 27-4-95 के द्वारा आदर्श प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्यादित, अकलतरा, जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 12 दिनांक 28-8-91 है को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री आर. के. कौशिक पद स. वि. अ. अकलतरा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एन. कुजूर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर, छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) एवं छ. ग./म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/1/5/6/19/एफ-15 दिनांक 27-8-79 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 16-7-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर, दिनांक 16 जुलाई 2008

छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/उपंजां/परि./08/507.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./96 दिनांक 7-2-08 के द्वारा सहाय प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्यादितं, अकलतरा, जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 129 दिनांक 5-12-91 है को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्ग्रत श्री आर. के. कौशिक पद स. वि. अ. अकलतरा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर, छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) एवं छ. ग./म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/1/5/6/19/एफ-15 दिनांक 27-8-79 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 16-7-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर, दिनांक 16 जुलाई 2008

छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/उपंजां/परि./08/508.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1094 दिनांक 31-12-2002 के द्वारा महामाया कामगार एवं कारीगर सहकारी समिति मर्यादित, लच्छनपुर, जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 173 दिनांक 18-9-96 है को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री आर. के. कौशिक पद स. वि. अ. अकलतरा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर, छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) एवं छ. ग./म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/1/5/6/19/एफ-15 दिनांक 27-8-79 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 16-7-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर, दिनांक 16 जुलाई 2008

छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/उपंजां/परि./08/509.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1901 दिनांक 23-12-82 के द्वारा सूती बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बलौदा, जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 2632 दिनांक 16-11-61 है को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री आर. के. कौशिक पद स. वि. अ. अकलतरा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एन. कुजूर , उप पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जांजगीर, छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) एवं छ. ग./म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/1/5/6/19/एफ-15 दिनांक 27-8-79 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 16-7-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर, दिनांक 16 जुलाई 2008

छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/उपजां/परि./08/510.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /परि./6492 दिनांक 26-12-65 के द्वारा बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, अकलतरा, जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 861 दिनांक 13-7-57 है को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री आर. के. कौशिक पद स. वि. अ. अकलतरा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एन. कुजूर , उप पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जांजगीर, छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) एवं छ. ग./म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/1/5/6/19/एफ-15 दिनांक 27-8-79 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 16-7-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

एन. कुजूर,
उप पंजीयक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी सस्थायें, सह. विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत बिल्हा, कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2008

क्र./परि./2008-09/1798.— सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें, बिलासपुर द्वारा छ. ग. सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/ दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वरूण देव मछुवा सह. स. मर्या., बोदरी.	3151/22-6-84	476/31-3-06

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	पत्थर मुरूम खदान सह. स. मर्या., चकरभाठा.	3525/15-4-94	1055/5-8-06
3.	ग्रामोद्योग सहकारी समिति मर्या., श्रवन देवरी.	2578/29-5-59	1056/5-8-06
4.	बजरंग कोरना फर्शी पत्थर खदान सह. समिति मर्या., उड़गन.	3121/20-7-82	1781/28-12-06
5.	गुरु नानक प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या., बिल्हा.	3706/22-12-95	266/24-2-07
6.	खनिज सहकारी समिति मर्या., पौसरी.	3793/29-6-96	402/20-3-07
7.	खनिज सहकारी समिति मर्या., चकरभाठा.	3795/28-9-96	627/15-5-07
8.	खनिज सहकारी समिति मर्या., मुढ़ीपार.	3807/3-10-96	1019/3-8-07
9.	लाल बहादुर शास्त्री प्राथ.सह. उप. भं. मर्या., बोदरी.	3670/3-6-95	1686/16-8-07
10.	आदर्श महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., भरवीडीह.	205/21-2-05	904/23-7-07

अतएव छ. ग. सहकारी संस्था नियम 1962 के नियम 57 (5) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त समितियों के समस्त देनदार-लेनदार अपने दावे मय प्रमाण पत्र के लिखित में इस कार्यालय में दो माह के अंदर मुझे कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर /कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बिल्हा, जिला-बिलासपुर में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति की लेखा पुस्तकें अंकेक्षण टीप में लेख समस्त दायित्व स्वत: विधिपूर्वक प्रस्तुत किये गये समझे जावेगें.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्था का रिकार्ड आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

यह सूचना आज दिनांक 11-9-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालीन मुद्रा से प्रकाशित की गई.

के. ए. खान,
परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं (अंकेक्षण), बिलासपुर, छ. ग.

बिलासपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2008

क्र./परिसमापन/08/क्यू.— छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57(5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि स्वामी विवेकानंद नगर पालिक निगम कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बिलासपुर, छ. ग., पं. क्र. 41, दिनांक 29-09-82 के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित में प्रमाण 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास संस्था का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक के सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

एम. आर. ध्रुव,
व. स. नि. एवं परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी सस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग.

बिलासपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2008

क्रमांक/परिसमापन/07/क्यू.— छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57(5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है. निम्न सहकारी संस्थाओं के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित में प्रमाण 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी. यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास निम्न संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्रमांक	संस्था का नाम	पं. क्र. एवं दिनांक	परिसमापक	स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जागरूक प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., जबडापारा.	3411/5-10-91	शोभा बन्दे सहकारी निरीक्षक	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
2.	जय भारत प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., इंदिरा नगर.	3370/28-1-91	--"--	--"--
3.	चर्म उद्योग सहकारी संस्थाएं, मर्या., मगरपारा.	3112/6-10-80	--"--	--"--

बिलासपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2008

क्रमांक/परिसमापन/07/क्यू.— छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57(5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है. निम्न सहकारी संस्थाओं के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित में प्रमाण 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी. यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किरी व्यक्ति के पास निम्न संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देंवे अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्रमांक	संस्था का नाम	पं. क्र. एवं दिनांक	परिसमापक	स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उपभोक्ता प्राथमिक सहकारी भण्डार मर्या., कोनी.	1093/20-7-63	शोभा बन्दे सहकारी निरीक्षक	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
2.	आदर्श प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., चाटीडीह.	2739/14-3-63	--"--	--"--
3.	प्रियदर्शनिय प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., सदर बाजार.	3826/26-12-96	--"--	--"--

बिलासपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2008

क्रमांक/परिसमापन/07/क्यू.— छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57(5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है. निम्न सहकारी संस्थाओं के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित में प्रमाण 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी. यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास निम्न संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देंवे अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्रमांक	संस्था का नाम	पं. क्र. एवं दिनांक	परिसमापक	स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रगति बुनकर सहकारी संस्था मर्या., किलावार्ड बिलासपुर.	69/5-9-89	शोभा बन्दे सहकारी निरीक्षक	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
2.	आदिवासी परिवहन सहकारी संस्थाएं मर्या., बिलासपुर.	62	--"--	--"--
3.	नवोदय प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., तारबहार.	3369/15-1-91	--"--	--"--

बिलासपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2008

क्रमांक/परिसमापन/07/क्यू.—छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57(5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है. निम्न सहकारी संस्थाओं के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित में प्रमाण 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी. यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास निम्न संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्रमांक	संस्था का नाम	पं. क्र. एवं दिनांक	परिसमापक	स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जागृति महिला बहुद्देशीय सहकारी, समिति मर्या., उस्लापुर.	3959/11-10-2000	शोभा बन्दे सहकारी निरीक्षक	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
2.	आशीर्वाद प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., गोडपारा बिलासपुर.	3569/4-1-95	शोभा बन्दे सहकारी निरीक्षक	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.

शोभा बन्दे,
स. नि. /परिसमापक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2008.